



**कार्यालय अधिष्ठाता**  
**बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय**  
**शहडोल (म.प्र.)**

कार्यालय दूरभाष नं. :-07652-243000  
फैक्स नं. :-07652-243222

ई-मेल :- deanshahdol@gmail.com  
वेबसाइट :-www.gmcshahdol.org

कमांक./8949./स्था./राज./एम.सी./2024

शहडोल, दिनांक 06/12/2024

**//विज्ञप्ति//**

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12.01.2018 द्वारा जारी "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018" तथा म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 1105-एफ 2-45/2010/1/55 भोपाल, दिनांक 24.07.2024 में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत एन.एम.सी. मापदण्डानुसार बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के शैक्षणिक संवर्ग (प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं प्रदर्शक/ट्यूटर) के सीधी भर्ती/पदोन्नति के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 27/12/2024 सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

**POST NAME - PROFESSOR**

S.No.	Department Name	Total Vacant Post	Category				
			UR	SC	ST	OBC	EWS
1	Anesthesia	1	1*	-	-	-	-
2	Pathology	1	1*	-	-	-	-
3	Pediatric	1	1*	-	-	-	-
4	Radiodiagnosis	1	1*	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>04</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**POST NAME - ASSOCIATE PROFESSOR**

S.No.	Department Name	Total Vacant Post	Category				
			UR	SC	ST	OBC	EWS
1	Anesthesia	1	1*	-	-	-	-
2	Forensic Medicine	1	1*	-	-	-	-
3	General Surgery	1	1	-	-	-	-
4	Pathology	1	1*	-	-	-	-
5	Radiodiagnosis	1	1*	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


### POST NAME - ASSISTANT PROFESSOR


S.No.	Department Name	Total Vacant Post	Category				
			UR	SC	ST	OBC	EWS
1	Anatomy	1	1*	-	-	-	-
2	Anesthesia	3	-	1	1	1	-
3	Biochemistry	2	2(1*)	-	-	-	-
4	Dentistry	1	1	-	-	-	-
5	Dermatology	1	1	-	-	-	-
6	Forensic Medicine	1	1	-	-	-	-
7	General Medicine	1	-	1	-	-	-
8	General Surgery	1	-	1	-	-	-
9	Microbiology	1	1*	-	-	-	-
10	Orthopaedics	1	-	-	-	1	-
11	ENT	1	1	-	-	-	-
12	Pathology	3	2(1*)	-	-	1	-
13	Pediatric	1	-	-	-	1	-
14	Pharmacology	1	1*	-	-	-	-
15	Physiology	1	1*	-	-	-	-
16	Psychiatry	1	1	-	-	-	-
17	Radiodiagnosis	1	1	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

### POST NAME - TUTOR / DEMONSTRATOR

S.No.	Department Name	Total Vacant Post	Category				
			UR	SC	ST	OBC	EWS
1	Anatomy	1	-	-	-	1	-
2	Physiology	2	1	1	-	-	-
3	Biochemistry	1	-	-	-	1	-
4	Pathology	3	1	-	-	2	-
5	Microbiology	1	-	-	1	-	-
6	Community Medicine	1	-	-	-	1	-
	<b>Total</b>	<b>09</b>	<b>02</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

- उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट [www.gmcshahdol.org](http://www.gmcshahdol.org) उपलब्ध है।
- आवेदन शुल्क :-** अनारक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ रु. 1000/- (एक हजार रुपये मात्र) एवं आरक्षित संवर्ग (अनुसूचित जाति, अनुजनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग) के अभ्यर्थियों को रुपये 800/- (आठ सौ रुपये मात्र) की राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट " **NEW GOVT. MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY**" खाता क्रमांक - **3687727001 IFSC Code :- CBIN0280787** बैंक :- सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.) के नाम देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क की राशि वापस नहीं की जावेगी। आवेदन शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण की तिथि एवं साक्षात्कार की तिथि पृथक से महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं अधिकृत वेबसाइट [www.gmcshahdol.org](http://www.gmcshahdol.org) के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।

  
स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

  
अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

**1. आयु सीमा एवं वेतनमान :-**

स.क.	पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	वेतनमान
1	प्राध्यापक	35 वर्ष	144200—218200 (सातवें वेतनमान का लेवल 14)
2	सह-प्राध्यापक	30 वर्ष	131400—217100 (सातवें वेतनमान का लेवल 13 ए)
3	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	68900—139900 (सातवें वेतनमान का लेवल 11)
4	प्रदर्शक/ट्यूटर	22 वर्ष	57700—117100 (सातवें वेतनमान का लेवल 10)

टीप :- आयु की गणना 01 जनवरी 2024 की दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

2. उपरोक्त पद पर नियुक्ति के उपरांत राज्य शासन द्वारा समय - समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।
3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

- **जाति प्रमाण पत्र :-** राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही दिया जायेगा।
- उपरोक्त चिन्हित पदों में से **SC** = अनुसूचित जाति, **ST** = अनुसूचित जनजाति, **OBC** = अन्य पिछड़ा वर्ग, **EWS** = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, **F** = महिला पद हेतु आरक्षित है एवं \* से चिन्हित पद पदोन्नति के पद हैं। जिनमें पदोन्नति का आरक्षण रोस्टर लगाते हुए सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति की जानी है।
- आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।

**4. शैक्षणिक आर्हतायें :-**

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा भारत का राजपत्र (असाधारण) स.क. 103, भाग-III, खण्ड 4, दिनांक 14 फरवरी 2022 में प्रकाशित चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता विनियम, 2022 के अनुसार रहेंगी।

**5. निरर्हतायें :-**

- 5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।
- 5.2 दुश्चरित्र होने पर।
- 5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपनी कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- 5.4 **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा** - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपने उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- 5.5 **विवाह संबंधी:-** जिस उम्मीदवार के न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसके पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसी महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गयी हो, वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव 02 या 02 से अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्ह नहीं होगा।
- 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेर बदल कर प्रस्तुत करने पर।
- 5.7 **कदाचरण संबंधी :-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्ति नहीं किया जावेगा, यदि उसमें शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।


- 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- 5.9 **स्वास्थ्य संबंधी** :- चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें।
6. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ संबंधित विषय की पी.जी. डिग्री एवं मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन (पी.जी.) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयन की स्थिति में आवेदक को मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में 3 माह के भीतर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा उक्त के अभाव में संबंधित चिकित्सा शिक्षक की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई के लिए कॉलेज प्रशासन स्वतंत्र रहेगा।
7. शासकीय/स्वशासी संस्था में सेवारत आवेदक को अपने मूल नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ-साथ साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में आवेदक को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में सेवारत व्यक्ति को आवेदित पद पर आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गए प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।
9. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा चयनित पद पर उपस्थिति दिनांक से 3 वर्ष जो भी पहले हो तक इस स्वशासी महाविद्यालय में सेवाएं देनी होंगी। आवेदक को इस बाबत संम्यक रूप से एक बॉन्ड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं शर्तों के उल्लंघन पर उसे 1 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी। चयनित पद पर 3 वर्ष की सेवा उपरांत यदि आवेदक किसी कारणवश त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे 1 माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
10. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में आवेदन पत्र दिनांक 23.12.21 दिन - **शुक्रवार**... को सायं 05 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क लौटाई नहीं जाएगी।
11. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जैसे अर्हता/अनुभव/शोध पत्र इत्यादि को ही मान्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।
12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होगी।
14. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।
15. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।
16. संबंधित पद की समस्त अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होना अनिवार्य होगा।
17. उपरोक्त विज्ञापन की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट **GMCSHAHDOL.ORG** उपलब्ध है।

#### महत्वपूर्ण टीप :-


1. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें।
2. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।


3. आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो। इस आशय से संबंधित घोषणा-पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।
4. चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञप्ति में यदि कोई त्रुटि या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।


(कार्यकारिणी समिति द्वारा अज्ञोत्ति)

  
स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)  
पृ.कमांक/६९५०-५३/स्था./राज./एम.सी./2024  
प्रतिलिपि :- की ओर सूचनार्थ।

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल, छठवीं मंजिल सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल।
3. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सेल, स्थानीय कार्यालय, की ओर वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. चिकित्सा महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

  
स्थापना प्रभारी (राजपत्रित)  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)

  
अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)  
शहडोल, दिनांक 06/12/2024

  
अधिष्ठाता  
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
शहडोल (म.प्र.)